२३.७.१० ६.७.१०

संख्या-69 /2018/~~595~~ 732/पाँच-9-2018-9(127)/12

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
परिवार कल्याण
उ०प्र०, लखनऊ

2. मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई,2018

**विषय:** शासकीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्लीनिकल आउटरीच (कॉट) सेवा प्रदान करने वाली निजी संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले भुगतान प्रक्रिया में संशोधन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को इन योजनाओं के अंतर्गत सेवा देने हेतु सम्बद्ध किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-143/पाँच-9-2015-9(127)/12 दिनांक 27 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पाँच-9-2015-9(127)/12 दिनांक 01 सितम्बर, 2015 तथा मिशन परिवार विकास के शासनादेश संख्या-30/2017/92/पाँच-9-2015-9(6)/17 दिनांक 24 अप्रैल 2017 व भारत सरकार के पत्र क्रमांक-11023/2/2016-FP दिनांक 12 दिसम्बर 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्रों के आलोक तथा प्रदेश में वर्तमान में क्लीनिकल आउटरीच टीम (कॉट) के माध्यम से परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदत्त करने वाली संस्थाओं की व्यावहारिक वित्तीय कठिनाईओ के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत मुझे निम्नवत कहने का निर्देश हुआ है :-

(i) विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा क्लीनिकल आउटरीच टीम (सी०ओ०टी०) के माध्यम से चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर सेवा देने के उपरान्त लाभार्थी एवं प्रेरक को दिए जाने वाला भुगतान सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई के द्वारा ही किया जाएगा जिसे सुनिश्चित करने का दायित्व संबधित इकाई के प्रभारी का होगा । इकाई के प्रभारी द्वारा नियत दिवस पर निजी सेवा प्रदाता द्वारा दी गयी सेवाओं का प्रमाण पत्र सेवा प्रदाता को उसी दिन दे दिया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिसे उसके द्वारा पोर्टल पर अपने स्तर से शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रदत्त की गयी सेवाओं के विवरण के साथ अपलोड किया जायेगा

(ii) निजी सेवा प्रदाता को हौसला साझेदारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशी में से लाभार्थी तथा प्रेरक को सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई के स्तर पर प्रदान की जा चुकी राशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशी का भुगतान प्रभारी चिकित्सा इकाई के स्तर से प्रदत्त प्रमाण पत्र के पोर्टल पर अपलोड किये जाने के बाद शीघ्रतम किया जायेगा ।

(iii) निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा क्लीनिकल आउटरीच टीम,के माध्यम से चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर सेवा देने के पश्चात प्रभारी चिकित्सा इकाई के स्तर से प्रदत्त प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के उपरांत अन्य किसी प्रकार पुनः सत्यापन आवश्यक नहीं होगा।

(iV) हौसला साझेदारीवेब पोर्टल पर इस आदेश के अनुसार आवश्यक संशोधन किये जायेंगे एवं तदनुसार निजी सेवा प्रदाताक्लीनिकल आउटरीच टीम से निष्पादित किये गए पूर्व अनुबंध को भी यथासंशोधित किया जाएगा।

उपरोकतानुसार प्रदेश के जनपदो में निम्न तालिका के अनुरूप भुगतान किया जायेगा-

**<u>तालिका-</u>1 प्रदेश के 57 मिशन परिवार विकास जनपद हेतु –**

| मद | महिला नसबंदी (रु०) | | पुरुष नसबंदी (रु०) | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान दर | नवीन दर | वर्तमान दर | नवीन दर |
| लाभार्थी | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 |
| प्रेरक | 0 | 300 | 0 | 400 |
| क्लीनिकल आउटरीच टीम (सी०ओ०टी०) को हौसला साझेदारी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि | 2500 | 2200 | 2500 | 1600 |
| कुल | 3500 | 4500 | 3500 | 5000 |

**<u>तालिका-2</u>-गैर मिशन परिवार विकास 18 जनपद**

| मद | महिला नसबंदी (रु०) | | पुरुष नसबंदी (रु०) | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्तमान दर | नवीन दर | वर्तमान दर | नवीन दर |
| लाभार्थी | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 |
| प्रेरक | 0 | 200 | 0 | 300 |
| क्लीनिकल आउटरीच टीम (सी०ओ०टी०) को हौसला साझेदारी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि | 2000 | 1400 | 2000 | 1300 |
| **कुल** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या-143/पाँच-9-2015-9(127)/12 दिनांक 27 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पाँच-9-2015-9(127)/12 दिनांक 01 सितम्बर, 2015 व मिशन परिवार विकास के शासनादेश संख्या-30/2017/92/पांच-9-2017(6)/17 दिनांक 24 अप्रैल, 2017 में किये गये संशोधन मात्र क्लिनिकल आउटरिच टीम तक ही सीमित है। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। उक्त शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से ही प्रभावी होगा।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 69 (1)/2018/~~596~~ 732(1)/पाँच-9-2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
३. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश।
४- अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, उ0प्र0।
५. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समस्त मंडल,उत्तर प्रदेश।
६. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0।
७- महाप्रबन्धक (प0क0) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
८- ऑपरेशन मैनेजर एफ0आर0एच0 इण्डिया, उत्तर प्रदेश।
९. गार्ड फाइल।

NGM (Cl. Tx)
Advl.
go to E.D.

DSR
To upload this GO on web portal
17/7/18

आज्ञा से,

(शशि कान्त शुक्ल )
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।